# चित्रकूट पुलिस

**(1).** “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

**(2).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कान्त राय के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के नेतृत्व में कुल 03 टीमों का गठन किया गया तथा शीघ्र उक्त घटना के अनावरण हेतु समस्त टीमों को निर्देशित किया गया। एसओजी एवं थाना मानिकपुर की पुलिस टीम ने थाना मानिकपुर अन्तर्गत जंगल में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-**

1.अखिलेश उर्फ जरैला पुत्र कल्लू प्रसाद निवासी करबई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा उम्र करीब 19 वर्ष

2.जिन्नू कोल पुत्र रघुनन्दन कोल निवासी गेदुरहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट उम्र करीब 18 वर्ष

**प्रकाश/फरार अभियुक्तों का विवरण**

1.अखिलेश उर्फ पटेल पुत्र शिवपूजन निवासी करबई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा उम्र करीब उम्र करीब 22 वर्ष

2.लल्लू उर्फ लाला पुत्र जगजीत वर्मा निवासी करबई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा उम्र करीब 24 वर्ष

**बरामदगीः-**

घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल HF DELUX UP 90 U 2818

जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल एन्ड्रॉयड OPPO

**गिरफ्तारी का स्थान व समयः-**

जिन्नू कोल को मानिकपुर रेलवे स्टेशन की तरफ से झरी फाटक की ओर आते समय झरी फाटक से 200 मीटर पहले रोड पर समय करीब 11.05 बजे व अखिलेश उर्फ जरैला को झरी रेलवे फाटक से मारकुण्डी की ओर 100 मीटर दूर रोड पर समय 11.40 दिनांक 16.07.2026

**सक्षिप्त विवरणः-**

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 14.07.2026 को नाबालिक वादिनी/पीड़िता ने सूचना दिया कि दिनांक 13.07.2026 को समय करीब 12.00 बजे दिन अपने ब्याय फ्रेंड जिन्नू से बातचीत होने के बाद झरी फाटक से आगे करीब एक किलोमीटर जाने के बाद दाहिनी ओर कच्चे रास्ते से जंगल की ओर गये कुछ दूर जाने के बाद जिन्नू अपनी मोटर साइकिल खड़ी कर दिया, वहाँ से हम दोनों जंगल के अन्दर कुछ दूर चेकडैम के पास पहुंचे की 03 लोगो को वहाँ पर नहाते हुए देखा तो तुरन्त हम दोनों दूसरी ओर जाने लगे। इतने में वे तीनों लड़के हमलोगो को देख लिये और उसमें से एक आदमी दौड़कर पास आकर धमकाते हुए रोक लिया। हम लोग डर गये उनके पास असलहा भी था। वे तीनों लड़के वादिया/पीड़िता व जिन्नू को जंगल के अन्दर काफी दूर लगे गये पीड़िता के काले रंग की दुपट्टे से जिन्नू का दोनों हाथ पीछे की ओर बांध दिया और वादिनी/पीड़िता को झाड़ी के पीछे ले जाकर पुरी कपड़े उतारकर किसी को न बताने की धमकी देते हुए तीनों ने बारी बारी से जबरजस्ती बलात्कार किये। उसके बाद उन्ही में से 02 लोग जिन्नू की तलाशी लिये और उसकी जेब से मोटर साइकिल की चाभी लेकर कुछ खाने पीने की चीज लाने को कहकर चले गये। एक आदमी जिन्नू व पीड़िता को देखता रहा, तभी मौका पाकर जिन्नू वहाँ से भाग गया। जो लोग जिन्नू की मो0सा0 लेकर गये थे। वह मानिकपुर से समोसा आम पानी लेकर मो0सा0 से आ गये। जंगल में करीब 3-4 घंटे रोके रहे फिर 02 लोग मुझे जिन्नू की मोटर साइकिल पर पीछे बैठाकर मारकुण्डी होते हुए हनुमानधारा होते हुए कर्वी आये कुछ देर रामघाट पर रूकने के कर्वी पेट्रोल पम्प के पास छोड़ दिये और कहे कि किसी को मत बताना नही तो जान से मार देगें आगे मानिकपुर की गाड़ी मिलती है पकड़ कर चली जाना। मानिकपुर पहुचते पहुंचते पीड़िता को रात हो गयी। दुसरे दिन सुबह थाने पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर अपने साथ घटित घटना से अवगत कराया। इस सूचना के आधार पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 101/2026 धारा 70(2),127(2),351(3),304(2),131 बीएनएस व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पीड़िता/वादिनी नाबालिक है उसने अपने बयान 183 बीएनएसएस के बयान में यह बताया कि जिन्नू भी उसके साथ संबंध

बनाता रहा है। जिसके आधार पर मुकदमा उपर्युक्त में जिन्नू कोल पुत्र रघुनन्दन कोल निवासी गेदुरहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट उम्र करीब 18 वर्ष प्रकाश में लाया गया तथा मानिकपुर रेलवे स्टेशन की तरफ से झरी फाटक की ओर आते समय झरी फाटक से 200 मीटर पहले रोड पर समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार किया। सीसीटीवी कैमरे में मिले क्लू व जिन्नू के निशान देही पर अभियुक्त अखिलेश उर्फ जरैला पुत्र कल्लू प्रसाद निवासी करगई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा उम्र करीब 19 वर्ष को झरी रेलवे फाटक से मारकुण्डी की ओर 100 मीटर दुर रोड पर समय 11.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अखिलेश उर्फ जरैला से पूछंताछ में बताया कि 1.अखिलेश उर्फ पटेल पुत्र शिवपूजन निवासी करबई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा उम्र करीब उम्र करीब 22 वर्ष 2.लल्लू उर्फ लाला पुत्र जगजीत वर्मा निवासी करबई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा उम्र करीब 24 वर्ष भी घटना में शामिल थे।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-**

**एसओजी टीमः-**

1.निरीक्षक एम0पी0 त्रिपाठी
2. का0 रोहित कुमार सिंह
3. का0 रोशन सिंह
4.का0 गोलू भार्गव
5. का0 पवन कुमार राजपूत
6. का0 जयनारायण पटेरिया

**थाना मानिकपुर पुलिस टीम-**

1.श्री अजीत कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर
2.निरीक्षक श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय
3.रि0का0 तेजबली
4.रि0का0 ऋतुराज
5.महिला आरक्षी संयोगिता

(3).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल प्रभारी श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो श्रीमती रेनु मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 16.07.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 223/2026 धारा 354,305 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र गंगा प्रसाद को 03 वर्ष के कठोर कारावास और 4000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनांक 19.06.2021 को थाना कोतवाली कर्वी अन्तर्गत निवासिनी एक वादिया द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी कि अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र गंगा प्रसाद उपरोक्त द्वारा उनकी लड़की के साथ छेडखानी करना तथा आत्महत्या के लिए उकसाना। सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 223/2021 धारा 354,305 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट बनाम रामचन्द्र पुत्र गंगा प्रसाद पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री अजय कुमार द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 17.09.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।